न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र सख्या 44/2015

1. राजमल सुपत्र रणजीत
2. नीतु पुत्री रणजीत पत्नि हस्तीमलजी
   जाति जाट निवासी मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0 ।
   बहैसियत स्वयं व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व0 नन्दराम वल्द तेजारामजी, रणजीत वल्द नन्दरामजी जाति जाट निवासी गांव मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0

.....वादीगण–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री सांवरलाल सुपुत्र नन्दरामजी
2. श्री हरचन्द सुपुत्र नन्दरामजी
3. श्रीमति शेरी पुत्री नन्दरामजी
4. श्रीमति पारसीदेवी पत्नि नन्दरामजी
   समस्त जाति जाट निवासी गांव मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0 ।
5. राजस्थान सरकार जरिये भु–धारक तहसीलदार महोदय तहसील–मसूदा जिला, अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक मसूदा ।
7. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अजमेर ।

.....प्रतिवादीगण–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 जाब्ता दिवानी

–: आदेश :–

दिनांक 01-9-2016

प्रार्थीगण ने इस प्रार्थना पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी ख.नं. 3797, 3798, 3898/1, 3914, 3948, 3982, 3983, 3984, 3997/1, 4022, 4039, 4045 कुल किता 12 रकबा 23–19–10 व 3998/2, 4018 किता 2 रकबा 1–13–00 व ख.नं. 4055 रकबा 3–14–00 तथा 4010, 4027, 4036, 4098, कुल किता 4 रकबा 8–09–10 वादीगण के दादा स्व. नंदराम वल्द तेजाराम खातेदार थे उनके जीवन काल में दिनांक 30.07.1997 के वादीगण के पिता स्व. रणजीत वल्द नंदराम की मृत्यु हो गई । नंदराम जी की भी मृत्यु हो गई । नन्दराम जी की मृत्यु पर प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 जो वादीगण के चाचा है तथा 3 भुआ है व 4 वादीगण की दादी है इन्होने तत्समय वादीगण के असहाय नाबालिग होने एवं उनकी माता के नाते जाने का नाजायज लाभ उठाते हुए तथा 3 भुवा है व 4 वादीगण की दादी है इन्होने वादीगण के पिता का वारिसान बताते हुए अकेले अपने नाम विवादित आराजी में विरासत से लगवा लिए है । उन्हे वादीगण के नाम अपने पिता के हिस्से लगवाने का कहने

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

पर मनाकर दिया है । प्रतिवादी 1 से 4 विवादित आराजी को जिसमें नंदराम जी की विरासत से वादीगण के 1/5 हिस्से सहित खुर्द बुर्द करने तथा हस्तान्तरित आदि करने पर आमादा है । प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है ऐसी स्थिति में वादीगण यदि अपने मकसद में सफल हो गये तो वादीगण को अपूर्णीय एव असहनीय क्षति होगी । वादीगण ने अपने 1/5 के लिए एक वाद पेश किया हुआ है अतः ताफैसला वाद के वादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा विवादित आराजी को खुर्द बुर्द एवं हस्तांतरण आदि से निषेध किया जावे ।

अप्रार्थीगण बावजूद तामीली नोटिस के अनुपस्थित रहे अतः उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई । बहस वकील प्रार्थीगण एक तरफा सुनी गई । उनके तर्क प्रा. पत्र अनुसार ही रहे । पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि विवादित आराजी ग्राम मसूदा ।। की जमाबंदी सं 2059–62 के खाता सं. 244 कुल किता 12 रकबा 23–19–10 में नंदराम छगना, रामनाथ पिता तेजा सहखातेदार है तथा खाता सं. 243 ख.नंत्र 4055 में अन्य खातेदारान के साथ सहखातेदार तथा खाता सं. 250/246 किता 4 रकबा 8–09–00 में तन्हा खातेदार है । ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण वारिस काबिज विवादित सम्पति में रणजीत वल्द नंदराम की विरासत से काबिज चले आने से प्रथम दृष्टिया मामला एवं सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में पाया जाता है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के हिस्से को खुर्द बुर्द करने के कोई अधिकार अप्रार्थीगण के नहीं बनते है ऐसी स्थिति में प्रा. पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है अतः स्वीकार किया जाता है तथा विवादित आराजी की राजस्व अभिलेख एवं मौके की स्थिति को ताफैसला वाद के प्रतिवादी सं 1 से 4 को खुर्द बुर्द करने व हस्तांतरण आदि से निषेध किया जाता है । मिसल फैसल शुमार हो ।

आदेश आज दिनांक 01.09.2016 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया ।

(सुरेश चावला)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा–अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.14 16:21:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: